न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) बी के तहत

अनुमति वाद संख्या –आर. एम. 91/2022–23

हरिहर महतो.....विक्रेता

बनाम

ओम प्रकाश महतो......क्रेता आदेश की क्रम आदेश पर की संख्या एवं तारीख आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर गयी टिप्पणी तारीख सहित 1 2 3 विक्रेता का नाम एवं पता-हरिहर महतो पिता–ब्रजमोहन महतो निवास 26.11.2022 ग्राम–मारांगकिरी पो०–बारेन्दा, थाना–सोनाहातु जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी। क्रेता का नाम एवं पताः-ओम प्रकाश महतो, पिता–विन्देश्वरी महतो ग्राम–मारांकिरी निवास पो०-बारेन्दा. थाना-सोनाहातू जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी। विद्वान अधिवक्ता का नामः--श्री मनोज कुमार चौधरी। विकेता के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06/10/2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (1) बी के तहत क्रेता ओम प्रकाश महतो पिता—.विन्देश्वरी महतो निवास ग्राम—मारांगकिरी, पो०–बारेन्दा, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी के हाथों निम्नलिखित जमीन की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:---बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी मौजा–मारांगकिरी, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–17 जिला–राँची, प्लॉट सं० खाता रकवा चौहदी सं० 42 09 डीसमील 225 उ०-बलराम महतो द०-सहायक रास्ता पू०-बलराम महतो प०-खितीश चन्द्र महतो उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी सोनाहातु का पत्रांक–552 (11) दिनांक 11/11/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:--1. प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत तीलक महतो वो कन्दरू महतो पिता–धनीया महतो वगैरह के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत/पंजी–।। रैयत के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध 2. परपोता का है। 3. पंजी—।। के अनुसार रैयत का नाम दक्षिण, दशरथ, उत्तर, ब्रजमोहन महतो वगैरह है ।

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	$\overline{2}$
	4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2019–2020 तक वसूली की गई है।
Z	5. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
26.11.2022	6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन टाड़-। दर्ज है।
	7. प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका के हिस्सेदारों की आपत्ति
	नहीं है।
	 प्रस्तावित भूमि बिक्री/दान में आवेदक/आवेदिका का अंश 3.71 एकड़ है। प्रस्तावित ज्यपित विकी करने के प्राप्त किरोज के प्राप्त के के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प
	 प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकवा–3.62 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
	10. विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी ईलाज हेतु बिक्री कर रहे है।
	11. प्रस्तावित भूमि की बिक्री किसी संस्था/सरकारी/समिति के पास नहीं की जा
	रही है।
	12. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है।
	13. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी है।
	14. आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल है। आवेदित भूमि का पूर्व में बिक्री नहीं
	की गई है।
	15. आवेदित भूमि की जमाबंदी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं चल रहा है।
	16. आवेदित जमीन भूमि घोटाला/वन भूमि/मसना/सरना/हड़गड़ी एवं अन्य न्यायिक मामलों से संबंधित नहीं है।
	17. भूमि के बिक्री के पश्चात भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु पर्याप्त भूमि
	बचता है।
	उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी
] आधानयम 1908 को धारा–46 (1) बी के तहत विक्रेता हरिहर महतो पिता–बज़मोहन
	महतो निवास ग्राम–मारागकिरी, पो०–बारेन्दा, थाना–सोनाहात, जिला–राँची (झारखण्ड)
	जाति—कुरमा, पशा—खतीवारी ने क्रेता/विपक्षी ओम प्रकाश महतो पिता— विन्देश्वरी
	महतो निवास ग्राम–मारांगकिरी, पो०–बारेन्दा, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड)
	जाति—कुरमी, पेशा—खेतीवारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।
	इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 06/10/2022 को निर्गत आम सूचना का
	तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने
	कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।
	अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित
	जमीन की विक्रेता हरिहर महतो पिता–ब्रजमोहन महतो निवास ग्राम–मारांगकिरी
	पो०–बारेन्दा, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी
	को क्रेता / विपक्षी ओम प्रकाश महतो पिता–.विन्देश्वरी महतो निवास ग्राम–मारांगकिरी,
	पो०–बारेन्दा,थाना–सोनाहातु, जिला–राँची (झारखण्ड) जाति–कुरमी, पेशा–खेतीवारी के
	हाथों बिकी करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 (।) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को
	आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विकी सरकार द्वारा निर्धारित दर से
	कम में नहीं करेंगें।
	बिक्री हेतु अनुमति भूमि विवरणी
	मौजा–मारांगकिरी, थाना–सोनाहातु, थाना सं०–17 जिला–राँची,
	खाता प्लॉट सं० रकवा चौहदी
	सं० 42 225 09 डीसमील उ०–बलराम महनो
	द०–सहायक रास्ता पू०–बलराम महतो
	प०–खितीश चन्द्र महतो
	लेखापित एवं सशोंधित
	भूमि सुधार अप समाहत्तां भमि सध्यर उप समाहत्तां
	8 · 3 · · · · · · · · · · · · · ·
	बुण्डू । बुण्डू ।